Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में तमंचे से फायर कर गम्भीर रुप से घायल करने के आरोपी शौकीन उर्फ छोटू व शुभम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-शौकीन उर्फ छोटू पुत्र नफीस निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत व 2-शुभम पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2018 में वादी के लड़के पर तमंचे से फायर कर गम्भीर रुप से घायल करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0- 1070/2018 धारा 307 भादवि व अभियुक्त शौकीन उर्फ छोटू पर मु0अ0सं0 1071/2018 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 15.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों शौकीन उर्फ छोटू व शुभम प्रत्येक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा मु0अ0सं0 1071/2018 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त शौकीन उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री अशोक सैनी
एडीजीसी

का0 प्रवीन
कोर्ट पैरोकार

विवेचक- निरीक्षक श्री संजीव कुमार
उ0नि0 श्री रमेश सिंह सिद्धू

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 15.05.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0245/2025 धारा 137(2)/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0245/2025 धारा 137(2)/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

टोनी पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 533 गजेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 15.05.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 262/25 धारा 191(2)/191(3)/333/ 109/118(1)/115(2)/352/324(4)/351(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 सरिया व 01 डण्डा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.05.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी आरिफ पुत्र युसुफ निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1- अफसर, 2- खालिद, 3- नफीस पुत्रगण जमील, 4-अब्दुस शमी, 5- मुस्तफा, 6- मुसर्रफ पुत्रगण अफसर, 7- मोनिस पुत्र खालिद, 8- उमर पुत्र अबरार, 9- सलीम पुत्र नफीस, 10- असरफ पुत्र मुमताज व 3-4 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा लाठी-डंडे, धारदार हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से उस पर व उसके परिवार पर जान से मारने की नीयत से हमला किया व गाली- गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी व घर के बाहर खडी गाडियों में तोड-फोड की । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 262/25 धारा 191(2)/191(3)/333/ 109/118(1)/115(2)/352/324(4)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस

द्वारा थाने के मु0अ0सं0 262/25 धारा 191(2)/191(3)/333/109/118(1)/115(2)/352/324(4)/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 सरिया व 01 डण्डा बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-खालिद पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मुशर्रफ पुत्र अफसर निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-मोनिस पुत्र खालिद निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक सरिया व एक डंडा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत।

2-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत।

3-का0 443 रामेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत।

4-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 15.05.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 271/25 धारा 196/353(1)(b)/ 353(1)(c)/152 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.05.2025 को थाना कोतवाली बागपत को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त फैजान पुत्र इनायत निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत द्वारा अपनी फेसबुक आईडी पर पाकिस्तान समर्थित एवं सरकार विरोधी एवं अलगाववादी क्रियाकलापो को बढाबा देने एवं लोक प्रशांति के विरूद्ध व दूसरे समुदाय के विरूद्ध वैमनस्यता उत्पन्न करने वाली भडकाऊ पोस्ट की, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 271/25 धारा 196/353(1)(b)/353(1)(c)/152 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 271/25 धारा 196/353(1)(b)/353(1)(c)/152 बीएनएस से

सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजान सलमानी पुत्र इनायत निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत।

2-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत।

3-है0का0 214 उमेश थाना कोतवाली बागपत।

4-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत।

5-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट

थाना बालैनी **दिनाँक 15-05-2025**

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 64/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई ट्रॉली व घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर स्वराज बिना नम्बर प्लेट बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 14.05.2025 को थाना बालैनी पर वादी सतीश कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-अभिषेक पुत्र सुभाष, 2-मोनू व 3-अनिल पुत्रगण सिंगू निवासीगण ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा उसके खेत से गन्ने (करीब 20 कुन्तल) से भरी ट्रॉली चोरी कर ली गयी व वादी व ग्राम के अन्य व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त अभिषेक को ग्राम रटौल में ट्रैक्टर स्वराज बिना नम्बर से खाली गन्ने की ट्रॉली को ले जाते पकड़ लिया गया तथा ट्रैक्टर पर बैठे अभियुक्त मोनू व अनिल पुत्रगण सिंगू मौके से भाग गये। वादी व ग्राम के व्यक्ति अभियुक्त अभिषेक पुत्र सिंगू निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत को ट्रैक्टर स्वराज बिना नम्बर प्लेट व ट्रॉली के साथ थाने लेकर आये। थाना बालैनी पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की हुई ट्रॉली व घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर स्वराज बिना नम्बर प्लेट को कब्जा पुलिस लिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 64/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र सुभाष निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई ट्रॉली ।

- घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर स्वराज बिना नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 18/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नंदकिशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0 1010 राजीव कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत **दिनाँक 15.05.2025**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 280/25 धारा 196/353(1)b/353(1)c/152 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.05.2025 को थाना बडौत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त फरहान पुत्र एहसान निवासी मौहल्ला कुरेशियान थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा अपने मोबाइल के ब्हाट्सएप पर पाकिस्तान समर्थित एवं सरकार विरोधी एवं अलगाववादी क्रियाकलापों को बढ़ाबा देने एवं लोक प्रशांति के विरुद्ध व दूसरे समुदाय के विरुद्ध वैमनस्यता उत्पन्न करने वाली भड़काऊ पोस्ट की गयी, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 280/25 धारा 196/ 353(1)b/353(1)c/152 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 280/25 धारा 196/353(1)b/353(1)c/152 बीएनएस से

सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरहान पुत्र एहसान निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी विवरण

- घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्रीआदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
2-है0का0 661 गंगा सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
3-का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
4-एचजी 276 सतपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना बिनौली दिनाँक 15.05.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 140/25 धारा 87 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 140/25 धारा 87 बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहर्ता को दिनांक 12.05.2025 को सकुशल बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र प्रवीण निवासी ग्राम खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उनि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-का0 966 नरेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।